न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 168 / 2023 GCMS No.—2022/38

सीताराम पुत्र स्व. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पचार, तहसील व जिला जयपुर।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत पचार, ग्राम पंचार तहसील व जिला जयपुर जरिये सचिव / सरपंच।
2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पचार तहसील व जिला जयपुर जरिये प्रधानाचार्य।

.....विपक्षीगण

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 18.11.2021 जिसके तहत ग्राम पंचायत पचार द्वारा प्रार्थी के कब्जे व आधिपत्य की आबादी बाडे की भूमि का पट्टा संख्या 30 प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम से विधि विरूद्ध जारी कर दिया गया।

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश शर्मा, तरसेम कुमार मिश्रा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री जगदीश सैनी अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 19.12.2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत पचार, पंचायत समिति झोटवाडा के संकल्प संख्या 8 दिनांक 18.11.2021 आदेश दिनांक 18.11.2021 की पालना में से गैर निगरानीकार संख्या 2 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचार के पक्ष में पट्टा संख्या 30 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.03.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता श्री जगदीश सैनी उपस्थित आये। विपक्षी संख्या 2 की ओर से प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचार उपस्थित आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त हुई जो कि शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गई।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पचार तहसील जयपुर स्थित आबादी भूमि खसरा नंबर 527 में से कुछ भूमि पर प्रार्थी के मकानात बने हुए है एवं उक्त भूमि के पीछे प्रार्थी का बाडा बना हुआ है, जिसमें से कुछ भाग पर पूर्व में पशुओ के लिए खामघर / मकान बने हुए थे। जो जीर्ण–शीर्ण होने के कारण गिर गये थे जिनका मलबा आज भी उक्त भूमि पर पडा हुआ है। ग्राम

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

पंचायत द्वारा निजी राजनैतिक द्वेषता से प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में दिनांक 18.11.2021 को निगरानीकार की ओर आपत्तियां प्रस्तुत करने के बावजूद उन आपत्तियों को बिना निर्णित किये ही व निगरानीकार को बिना सुने ही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के पंचायत राज अधिनियमो की अवहेलना करते हुए बनाकर जारी कर दिया गया। पंचायत राज अधिनियम अनुसार पट्टा जारी करने से पूर्व नियम 148 उपनियम 2 के तहत आपत्ति नोटिस नियमानुसार चस्पा नहीं किया गया तथा निगरानीकार को सूचना के अधिकार के तहत उक्त पत्रावली की जो नकल दी गयी उसमें किसी भी आपत्ति नोटिस की प्रति संलग्न नही की है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने की प्रक्रिया में नियम 146 के उपनियम 3 के तहत मौका निरीक्षण भी नियमानुसार नहीं किया गया जबकि विवादित भूमि निगरानीकार के कब्जे की बाडे की भूमि है तथा उक्त भूमि के तरफ निगरानीकार के मकान के नाले, खिडकिया व रोशनदान भी निकले हुये है। निगरानीकार के उक्त बाडे के भूमि पर आने जाने हेतु निगरानीकार के मकान के उत्तर की ओर गेट भी इस भूमि में निकला हुआ है जिससे भी प्रमाणित होता है कि उक्त गेट से अपने कब्जे की भूमि में निगरानीकार आता–जाता रहता है व पट्टे की भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज अधिनियम में निहित नियमों की अवहेलना करते हुए निगरानीकार की आपत्ति का निस्तारण किये बिना निगरानीधीन पट्टा जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार जाकर ग्राम पंचायत पचार के आदेश दिनांक 18.11.2021 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में जारी पट्टा संख्या 30 निरस्त किया जावे। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा न्यायकि दृष्टांत सिविल रिट संख्या 8568/2016 गणपत लाल बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2016, 2019 (09) राज0 सीके 47 राज0 आदि पेश किये।

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्य 1 द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है। विवादित भूमि से निगरानीकार का कोई लेना देना नहीं है। निगरानीकार द्वारा निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर स्वयं का 50 साल से कब्जा होने का मिथ्या कथन किया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने पूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट तीन वार्ड पंच महोदय से मंगवाकर निरीक्षण कर व सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के बाद ही जारी किया है। तीन पंचों द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाई गई जिसे कोरम मीटिंग के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.11.2021 को सर्वसहमति से गैर निगरानकार के हक में पट्टा जारी किया

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

है। निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं किया है जिससे उक्त विवादित पट्टे की भूमि पर निगरानीकर्ता का स्वामित्व स्पष्ट होता हो। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत पचार द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा विद्यालय में बच्चो की बैठक व्यवस्था हेतु कमरो की कमी को देखते हुए भूमि आवंटित करने बाबत दिनांक 12.10.2021 को सरपंच ग्राम पंचायत पचार को आवेदन किया। आवेदन पत्र दिनांक 12.10.2021 पर आगे कार्यवाही करते हुए मुताबिक नक्शा तीन मौका रिपोर्ट हेतु वार्ड पंचगण की कमेटी गठित की गयी। वार्डपंचगण द्वारा दिनांक 11.11.2021 को मौका निरीक्षण किया गया एवं ग्राम पंचायत के समक्ष वार्ड पंचगण द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। निरीक्षण रिपोर्ट पर तीन वार्ड पंचगण के हस्ताक्षर है। जिसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज नियम 148 की पालना में दिनांक 11.11.2021 को आपत्ति नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आपत्ति नहीं आने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.11.2021 को पंचायत राज अधिनियम के नियम 162 के तहत निःशुल्क पट्टा क्षेत्रफल 420 वर्गगज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचार के हक में जारी किया गया। पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 162 के तहत ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र के भीतर 500 वर्गगज तक की भूमियां विद्यालय, औषधालय, आगंनबाडी को निःशुल्क आवंटित कर सकेगी। ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग की अधिसूचना अप्रेल/08/17 संख्या एफ4 (54) पट्टा अभियान/विधि/ पं.स./2017/271 में सरकारी कार्यालय के भवन हेतु 500 वर्गगज तक की भूमि ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित की सकेगी। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की मुख्य दलील है कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि निगरानीकार की कब्जे की खाम बाडे की भूमि रही है एवं निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आपत्ति भी पेश की गयी थी। निगरानीकार द्वारा अपने कथनो के समर्थन में एवं निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर अपने हक, अधिकार के समर्थन में कोई ठोस एवं सुसंगत दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये गये। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवज अनुसार निगरानीकार द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2021 को ग्राम पंचायत पचार के समक्ष पेश किया गया है एवं ग्राम

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा भी दिनांक 18.11.2021 को जारी किया गया है जिससे जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत के पट्टा जारी किये जाने की प्रकिया से पूर्व आपत्ति पेश नहीं की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात से जाहिर है कि निगरानीधीन पट्टे की आबादी भूमि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार की भूमि है एवं ग्राम पंचायत अपने क्षेत्राधिकार की भूमि में कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर है जिसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है। आबादी भूमि के संबंध में किसी के हक, हकूक, अधिकार तय करने बाबत श्रवण क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नहीं है। ग्राम पंचायत पचार, पंचायत समिति झोटवाडा द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व नियमानुसार पत्रावली बनाई जाकर पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 162 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार की भूमि पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में किया जाकर निगरानीधीन पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति के साथ अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर